जेपीडी 6— 261

अत्यावश्यक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पत्रांक :— जविविनि / वले(मु.) / राजस्व / पत्रा. 50 / प्रे.3305 जयपुर ,दिनांक :— 28.2.08

आदेश

कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि उपभोक्ताओं के विद्युत बिल जमा कराये जाने के पश्चात भी विभिन्न कारणों से उनके आगामी बिलों में पुराने विद्युत बिलों की बकाया राशि जुड़ जाती है तथा उनके द्वारा जमा बिल की रसीद प्रस्तुत करने के पश्चात भी राजस्व संग्रहणकर्ता द्वारा उनसे वर्तमान बिल की पूर्ण राशि की मांग की जाती है तथा मजबूरन उन्हें या तो यह राशि जमा करानी पड़ती है या वर्तमान बिल की मांग राशि की दुरूस्ती हेतु सहायक अभियन्ता मुख्यालय पर जाना पड़ता है तथा अनावश्यक बहुमूल्य समय एवं श्रम की बर्बादी के साथ ही आर्थिक हानि एवं मानसिक असंतोष का सामना करना पड़ता है ।

उपरोक्त समस्या के निवारणार्थ, निम्न ओदश प्रसारित किये जाते है :—

1. उपभोक्ता द्वारा पूर्व विद्युत बिल की राशि जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करने पर रोकड़ संग्रहणकर्ता सामान्य जांच कर यह सन्तुष्टी करेगा कि प्रस्तुत रसीद पूर्व जमा बिल की ही है तथा वर्तमान बिल में जोड़ी गयी है एवं संबंधित सहायक अभियन्ता के बिल संग्रहण केन्द्रों पर ही जमा करवायी गयी है ।
2. आवश्यक सन्तुष्टी के उपरान्त रोकड़ सग्रहण कर्ता द्वारा उपभोक्ता के वर्तमान बिल में उपभोक्ता पार्श्व पर संबंधित रसीद का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा एवं यहीं विवरण विभागीय पार्श्व के पृष्ट भाग पर भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा एवं दोनों स्थानों पर "आंशिक भुगतान (पी.पी.)" लिख कर अपने हस्ताक्षर भी करेगा ।
3. उपरोक्त कार्यों के पश्चात बिल संग्रहणकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं से वर्तमान बिल राशि की ही मांग करेगा एवं तद्नुसार रसीद जारी करेगा ।
4. राशि संग्रहण कर्ता द्वारा छिद्रित रोकड़ पुस्तिका में भी संबंधित उपभोक्ता से बिल राशि जमा करवाने के विवरण के सम्मुख भी "आंशिक भुगतान (पी.पी.)" आवश्यक रूप से दर्शायी जायेगी।
5. उपखण्ड वापस लौटने पर संबंधित बिल संग्रहणकर्ता द्वारा इस प्रकार के उपभोक्ताओं का सम्पूर्ण विवरण लिखित में सहायक अभियन्ता को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा जो सहायक राजस्व अधिकारी के मार्फत पूर्व बकाया राशि के कारणों की गहन एवं विस्तृत जांच करवा कर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करेंगे।

यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के उन उपभोक्ताओं हेतु ही प्रभावी होगी जहाँ विभागीय कर्मचारियों द्वारा राजस्व सग्रहण किया जा रहा है एवं शहरी क्षेत्रों तथा सहायक अभियन्ता मुख्यालय पर यह लागू नहीं होगी ।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है ।

आनन्द जोशी
28.2.08.
(आनन्द जोशी)
निदेशक (वित्त)